

प्रेषक,

राधे कृष्ण,  
अनुसचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,  
विकलांग कल्याण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विकलांग जन विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2014

विषय : विकलांग कल्याण विभाग का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के पत्र संख्या-1135/बीस-1-ई-2014-यूओ0-154/14 दिनांक 23 जुलाई, 2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विकलांग कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित कर "विकलांग जन विकास विभाग" किया गया है। अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त स्थिति से विकलांग कल्याण विभाग से सम्बन्धितों को अवगत कराते हुए भविष्य में इसी नाम से पत्राचार/इसका प्रयोग करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

( राधे कृष्ण )  
अनुसचिव।

निदेशालय : विकलांग जन विकास विभाग उ0प्र0 लखनऊ

क्र. सं. 680 / वि0क0 / यो0 / 2014-15 लखनऊ दिनांक: 01/08/14

लिपि निम्नांकित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भविष्य में विभाग के  
रिवर्तित नाम "विकलांग जन विकास विभाग" का ही प्रयोग किया जाना

निश्चित करें- स. निदेशक ।

1. समस्त अधिकारी मुख्यालय।
2. समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी।
3. विभागीय संस्थाओं के समस्त प्रधानाचार्य/अधीक्षक/समन्वयक।
4. गार्ड फाइल

(एस0के0 श्रीवास्तव)

उप निदेशक,  
कृते निदेशक।

आलेख

उत्तर प्रदेश शासन


सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1(अधि०)

संख्या- 1135/बीस-1-ई-2014-यूओओ-154/14

लखनऊ: दिनांक: 2 जुलाई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा विकलांग कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करते हुए विकलांग जन विकास विभाग किया जाता है।


  
(अरविन्द नारायण मिश्र)  
सचिव

संख्या-1135 (1)/बीस-1-ई-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30 प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, 30 प्र० शासन।
4. समस्त मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री, 30 प्र०।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, 30 प्र० शासन
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, 30 प्र०।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त, 30 प्र० शासन।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, 30 प्र० शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, 30 प्र० शासन।
10. 30 प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30 प्र० इलाहाबाद।
12. निदेशक, सूचना, 30 प्र० शासन।
13. स्थानिक आयुक्त, 30 प्र०, 401, अम्बादीप भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को 02 अतिरिक्त प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ कि कृपया तदनुसार भारत सरकार के संबंधित विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

  
(वी० के० सिंह)

अनु सचिव